

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 16/06/2022 14:14 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	166
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	418
5	IPC 1860	420
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Sunday Date from (दिनांक से): 01/01/2006 Date To (दिनांक तक): 01/01/2006
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/06/2022 Time (समय): 12:00 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 16/06/2022 12:44 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-WEST, 50 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): रतिया,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Dharmvir Singh
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 05/04/1967 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Fatehbad, BHUNA, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	Present Address	SVB Hisar, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
3	Permanent Address	SVB Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416346542

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	हरिचन्द भाटिया तत्कालीन नायब तहसीलदार रतिया			1. रतिया, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
2	एस.डी.खुराना तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता H.S.M.I.T.C विभाग डिविजन न.4 फतेहाबाद			1. HSMITC विभाग डिविजन फतेहाबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA
3	रहीश सिंह चहल			1. रतिया, FATEHABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 04 दिनांक 25.07.2017/फतेहाबाद मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 46/20/2017-1 चौ0-(II) दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो,(ह0) पंचकुला के कार्यालय के पत्र पृष्ठ क्रमांक 9393/ आई-3 /एस0वी0बी0 (एच) दिनांक 25.07.2017 के अनुसार श्री आर0पी0 शर्मा, डिप्टी कलेक्टर ,राज्य सतर्कता एवं चौकसी विभाग, हरियाणा पंचकुला, के पत्र क्रमांक 146-47/डी0सी0/एस0वी0बी0/पी0के0एल0 दिनांक 22.05.2017 की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर कार्यालय पुलिस अधीक्षक ,राज्य चौकसी ब्यूरो, (ह0) हिसार मण्डल,हिसार में प्राप्त हुई थी। श्री आ0पी0 शर्मा, डिप्टी कलेक्टर ,राज्य सतर्कता एवं चौकसी विभाग, हरियाणा पंचकुला की रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों की जांच श्री जगदीश राय, तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सिरसा द्वारा की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि जल सेवार्य, उप मण्डल रतिया द्वारा गांव रतिया में दिनांक 27.02.1981 को 27 कनाल 18 मरला भूमि एच0एस0एम0आई0टी0सी0 विभाग द्वारा चैनल लिंक न.02 के निर्माण के लिये नोटिफिकेशन न.61/08/81-4 एम0आई0 एण्ड0 पी0 दिनांक 2702.1981 के तहत अधिकृत की गई तथा उक्त भूमि की मुआवजा राशि कुल 59,557 रु 79 पैसे भूमि अर्जन अधिकारी सिंचाई विभाग रोहतक द्वारा उक्त भूमि मालिको को आवार्ड न.24 दिनांक 11.08.1981 के तहत दिये गये थे । उक्त 27 कनाल 18 मरले भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में ईतंकाल न.12994 दिनांक 04.05.2002 के तहत हरियाणा सरकार के हक में हो गया था। 30 जून 2002 को हरियाणा सरकार द्वारा एच0एस0एम0आई0टी0सी0 को बन्द करके सम्बन्धित रिकार्ड सिंचाई विभाग को सौंप दिया था। उक्त अधिग्रहण पूर्व उक्त 27 कनाल 18 मरले भूमि में से 19 कनाल 10 मरला भूमि की मालिक श्रीमति श्यामा कौर ने माननीय अदालत जिला जज हिसार अधिग्रहण मुआवजा इन्हासमेंट की अपील की जो 27.01.1984 को डिसमिश्न करदी गई। उसके बाद श्रीमति श्यामा कौर के वारिसो द्वारा एक आर0एफ0ए0 न.1634 ऑफ 1984 माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई। इस आर0एफ0ए0 की सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दिया गया कि सिंचाई विभाग ने इस भूमि को डि-एक्वायर कर दिया हैं तथा भूमि मालिकों से पैसे वापिस ले लिये हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 25.08.2004 को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि अगर उक्त भूमि डि-एक्वायर की जा चुकी है तो उस डि-एक्वायर नोटिफिकेशन के तहत भूमि वापिस मालिको को दे दी जाये तथा अगली सुनवाई के दिन उक्त भूमि के डि-एक्वायर का नोटिफिकेशन की कापी अदालत में पेश किया जाये। क्योंकि उक्त भूमि का सरकार द्वारा डि-एक्वायर का नोटिफिकेशन कभी जारी ही नहीं किया गया था। इसलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार मांगने पर भी विभाग द्वारा वह पेश नहीं किया गया । इसलिये अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.08.2008 को श्यामा कौर के वारिसो की अपील की मन्जूर करते हुये उनके जमीन मुआवजे की राशि 13500/- प्रति एकड़ से 18000/- रुपये प्रति एकड़ के करने के आदेश फरमाये गये । परंतु श्यामाकौर के एक वारिस रहीस सिंह चहल पुत्र श्री श्यामा कौर निवासी रतिया ने हरीचन्द भाटीया, तत्कालीन नायब तहसीलदार रतिया, मंगल सिंह बुरा, तत्कालीन अभियन्ता, जल सेवार्य मण्डल फतेहाबाद (मृत्यु दिनांक 14.03.2012) श्री एस0डी0 खुराना, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, एच0एस0एम0आई0टी0सी0 विभाग डिविजन-4 के साथ मिली भगत करके धोखाधड़ी व षडयन्त्र रचकर गैरकानूनी तरीके से 27 कनाल 18 मरला भूमि का इंतकाल न. 12994 दिनांक 04.05.2002 जो सरकार के हक में उक्त भूमि के अधिग्रहण के बाद हुआ था को बिना डि-एक्वायर नोटिफिकेशन के बिना किसी सक्षम अधिकारी के डि-एक्वायरिंग के आदेश तथा बिना किसी न्यायालय के आदेश अधिग्रहीत की गई भूमि की मालिक श्रीमति श्यामा कौर व उसके वारिसों से अधिग्रहण मुआवजा राशि वापिस जमा कराके सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का इंतकाल रद्द करवाकर इंतकाल न. 14715 दिनांक 01.01.2006 अपने हक में करवा लिया। जिस पर जांच अधिकारी द्वारा (1) हरिचन्द भाटिया, तत्कालीन नायब तहसीलदार, रतिया (2) श्री एस0डी0 खुराना, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, एच0एस0एम0आई0टी0सी0 विभाग डिविजन न.04 फतेहाबाद (3) रहीश सिंह चहल पुत्र श्रीमति श्यामा कौर निवासी रतिया के विरुध धारा 166,409,418,420,120 बी0 भा0द0स0 व धारा 12,13(1) (सी), 13(1) (डी) r/w 13(2) पी0सी0एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर जांच की अन्तिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार के पत्र क्रमांक 5100/रा0चौ0ब्यू0/ हिसार दिनांक 31.10.19 के अनुसार महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को भेजी गई। इसके उपरान्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 19316/ आई-3/एस0वी0बी0 (एच) दिनांक 13.12.2019 के अनुसार रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा, सरकार चौकसी विभाग, चण्डीगढ को भेज दी गई। परिक्षणोपरान्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के सुझाव से सहमत होने पर मुख्य सचिव हरियाणा, सरकार चौकसी विभाग, चण्डीगढ के पृ0 क्रमांक 46/20/2017-4 चौकसी-(II) दिनांक 24.05.2022 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 8606/आई-3 एस0वी0बी0 (एच) दिनांक पंचकुला 31.05.2022 के अनुसार (1) हरिचन्दभाटिया, तत्कालीन नायब तहसीलदार, रतिया (2) श्री एस0डी0 खुराना, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, एच0एस0एम0आई0टी0सी0 विभाग डिविजन न.04 फतेहाबाद (3) रहीश सिंह चहल पुत्र श्रीमति श्यामा कौर निवासी रतिया के विरुध धारा 166,409,418,420,120 बी0 भा0द0स0 व धारा 12, 13 (1) (सी) , 13(1)(डी0) r/w 13 (2) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने तथा अभियोग के अनुसंधान के दौरान पटवारी, कानूनगो व अन्य की संलिप्ता पाई जाये तो उन्हें भी अभियोग में शामिल करने बारे आदेश प्राप्त हुआ है। अतः (1) हरिचन्द भाटिया, तत्कालीन नायब तहसीलदार, रतिया (2) श्री एस0डी0 खुराना, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, एच0एस0एम0आई0टी0सी0 विभाग डिविजन न.04 फतेहाबाद (3) रहीश सिंह चहल पुत्र श्रीमति श्यामा कौर निवासी रतिया के विरुध धारा 166,409,418,420,120 बी0 भा0द0स0 व धारा 12,13 (1) (सी), 13(1)(डी0) r/w 13 (2) पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया जाकर नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया डाक / ईमेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व उपायुक्त फतेहाबाद तथा अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जा रही है। जांच क्रमांक 04 दिनांक 25.07.2017 फतेहाबाद की कुल 04 फाईले बराये मय असल तहरीर बराये करने अनुसंधान निजद श्री राकेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहाबाद भेजी जा रही है। SD हिन्दी धर्मवीर (धर्मवीर) निरीक्षक एच.ए.पी./30 राज्य चौकसी ब्यूरो, (ह0) हिसार मण्डल हिसार अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड कुल 04 फाईल बराये तफतीश निजद श्री राकेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र फतेहाबाद के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rakesh Kumar Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): 43HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Ramesh Kumar

Rank (पद): INSP

No. (सं.): 320/NNL

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1962				Is pox pitted: Yes
2	Male	1962				Is pox pitted: Yes
3	Male	1962				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)